



शादुसं:परिवहन:निविदा: 1005

दिनांक: 19/03/26

:: परिवहन निविदा सूचना ::

शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, कतिरा आरा के क्षेत्रान्तर्गत कैम्प-तुर्कवलिया, कोचस (रोहतास) एवं कैमूर डेयरी मोहनियाँ (कैमूर), में दुग्ध संग्रहण क्षेत्र के विभिन्न पथों में अवस्थित दुग्ध समितियों से, डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कुलर तक कच्चे दूध का परिवहन कार्य करने हेतु दो वर्ष तक की अवधि के लिए टाटा-407/टाटा ए०सी०ई०/बोलोरो पिकप/मैक्स पिकप इसके समतुल्य गाड़ियों की आवश्यकता है, जिसका निर्माण वर्ष-जनवरी 2021 के पूर्व का न हो। भाड़े पर देने वाले इच्छुक परिवहन संवेदकों (गाड़ी मालिकों) से मुहरबन्द लिफाफा में दिनांक 10.04.2026 को 4:00 बजे अपराह्न तक केवल पंजीकृत डाक/कुरियर/हाथो-हाथ के माध्यम से निविदा प्राप्त किये जायेंगे।

निविदा प्रपत्र, एकरनामा से सम्बन्धित शर्तों, पथों की विवरणी/विभिन्न पथों में लगाई जानेवाली गाड़ियों के प्रकार का विवरणी इत्यादी के साथ निविदा प्रपत्र दिनांक: 20.03.2026 से 10.04.2026 तक कार्यालय कार्य दिवस में 200/-नगद जमा कर संघ मुख्यालय, आरा से निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक पथ के लिए अलग-अलग निविदा भरे जायेंगे। निविदा प्रपत्र कॉम्फेड/संघ के वेबसाइट- Sudha.coop/smusudhaara.com पर लॉग ऑन करें।

भरे गये निविदा कैम्प तुर्कवलिया, कोचस, जिला-रोहतास का दिनांक 13.04.2026 को एवं कैमूर डेयरी मोहनियाँ, जिला- कैमूर (भभुआ) का दिनांक 16.04.2026 को, वर्णित तिथियों के अनुसार 1:00 बजे अपराह्न से दुग्ध संघ मुख्यालय आरा डेयरी आरा के सभाकक्ष में निविदाताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तकनीकी निविदा (बीड) खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (बीड) में सफल निविदाओं का वित्तीय बीड खोलने की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।

एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने/निविदा की तिथि घटाने या बढ़ाने/संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

प्रबंध निदेशक

19/03/26

- प्रति :- महाप्रबंधक, कॉम्फेड, पटना को कृपया सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कराने हेतु सादर सूचनार्थ।
- :- प्रबंध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०- पटना/मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/भागलपुर/बरौनी/सुपौल/गया- कृपया सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कराने हेतु - सादर सूचनार्थ।
- :- मुख्य कार्यपालक, डेयरी- राँची/जमशेदपुर/बोकारो/गया/पूर्णीया/नालन्दा, कृपया सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कराने हेतु - सादर सूचनार्थ।
- :- सभी शाखा प्रधान/इकाई प्रभारी शादुसं: आरा, बिहियाँ, आर.डी.पी. रोहतास, कोचस, डुमराँव, कैमूर डेयरी मोहनियाँ, -सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कराना चाहेंगे।





दुग्ध संघ के अन्तर्गत तुर्कवलिया, कोचस (रोहतास) एवं कैमूर डेयरी मोहनियाँ (कैमूर) के विभिन्न दुग्ध पथों में दुग्ध परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परिवहन निविदा के संबंध में।

तकनीकी बीड-प्रपत्र:-

1. पथ संख्या, जिसके लिए निविदा भरा गया हो :-
2. पथ का नाम (कहाँ से कहाँ तक) :-
3. तय की जाने वाली दूरी (अनुमानित), जो संलग्न सूची में इंगित है। :-
4. गाड़ी मालिक का नाम :-
5. आधार नम्बर :-
6. पैन सं० :-
7. पूरा पता- ग्राम..... पो०..... थाना

- जिला..... पिन मो० नं०.....

8. संघ में नकद जमा राशि का रसीद नं०/डिमांड ड्राफ्ट नं०..... राशि.....

9. गाड़ी संबंधी सूचना-

- क. ऑनर बुक में गाड़ी मालिक का नाम :-
- ख. गाड़ी का प्रकार/मॉडल :-
- ग. कम्पनी का नाम :-
- घ. निबंधन संख्या :-
- ड. कय वर्ष :-
- च. टैक्स टोकन किस अवधि तक जमा की गई है। :-
- छ. किस वर्ष/तिथि तक बीमा प्रिमियम की राशि जमा की गई है। :-
- ज. गाड़ी निबंधन की मान्य तिथि, (कब तक लागू है) :-
- झ. प्रदुषण समाप्ति की तिथि :-

नोट -

(ऑनर बुक, निबंधन प्रमाण-पत्र, रोड परमिट, अद्यतन टैक्स टोकन, प्रदुषण, बीमा कागजात, पैन संख्या, आधार नम्बर, चालक का लाइसेंस, की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)।

घोषणा:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने दुग्ध परिवहन निविदा के सम्बन्ध में एकरानामा में उद्धृत करार एवं शर्तों के क्रमांक (एकरारनामा के क्रमांक - 01 से 30 तक में अंकित शर्तों को पढ़ वो समझ लिया हूँ। सभी करार शर्तों को पालन करने हेतु सहमति देता/देती हूँ।

परिवहन संवेदक का हस्ताक्षर

तिथि :-

नोट :-1. आवेदन शुल्क रूपये 200 (दो सौ) रूपये मात्र एवं अग्रधन की राशि रूपये 1000 (एक हजार) रूपये नकद जमा राशि का रसीद/ बैंक ड्राफ्ट इसके साथ संलग्न करें।

2. तय की जाने वाली दूरी दोनों पालियों में अनुमानित दूरी है। भौतिक सत्यापन के आधार पर अथवा कार्य की आवश्यकता के आधार पर दूरी घट/बढ़ सकती है।





दुग्ध संघ के अन्तर्गत तुर्कवलिया, कोचस (रोहतास) एवं कैमूर डेयरी मोहनियाँ (कैमूर) के विभिन्न दुग्ध पथों में दुग्ध परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परिवहन निविदा के संबंध में।

वित्तीय बीड-प्रपत्र:-

1. पथ संख्या, जिसके लिए निविदा भरा गया हो :-
2. पथ का नाम (कहाँ से कहाँ तक) :-
3. तय की जाने वाली दूरी (अनुमानित), जो संलग्न सूची में अंकित है। :-
4. गाड़ी मालिक का नाम :-
5. पिता का नाम :-
6. पूरा पता- ग्राम..... पो०..... थाना
- जिला..... पिन मो० नं०.....
- (i) आधार कार्ड नम्बर :-
- (ii) पैन नम्बर :-
7. गाड़ी का प्रकार एवं गाड़ी नम्बर :-
8. स्वीकार्य प्रस्तावित दर प्रति किलोमीटर (टॉल टैक्स सहित) अंको एवं शब्दों में दर अंकित करें। :-

घोषणा:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने दुग्ध परिवहन निविदा के सम्बन्ध में एकरानामा में उद्धृत करार एवं शर्तों के क्रमांक (एकरारनामा के क्रमांक - 01 से 30 तक में अंकित शर्तों का पढ़ वो समझ लिया हूँ, सभी करार शर्तों को पालन करने हेतु सहमति देता/देती हूँ।

तिथि :-

परिवहन संवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-1. वित्तीय बीड-प्रपत्र में कोई कागजात संलग्न नहीं करें।

2. तय की जाने वाली दूरी दोनों पालियों में अनुमानित दूरी है। भौतिक सत्यापन के आधार पर अथवा कार्य की आवश्यकता के आधार पर दूरी घट/बढ़ सकती है।





दुग्ध परिवहन निविदा से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

1. भरे गये निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक निविदा के लिए अग्रधन राशि रु० 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र नकद राशि लेखा में जमा करने का रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें, जो शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, आरा के नाम से आरा में भुगतेय होगा। बिना ड्राफ्ट या नकद जमा रसीद के संलग्न निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को अपने स्वामित्व का गाड़ी होना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र में परिवहन दर प्रति किलोमीटर के आधार पर अंकित किया जाये। परिवहन दर में लागू टॉल टैक्स सम्मिलित होगा, अर्थात् टॉल टैक्स का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत निविदा की लिखित सूचना गाड़ी मालिक को दी जायेगी तदनुसार संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश पत्र के आधार पर निर्धारित तिथि को गाड़ी के प्रकार के अनुरूप नीचे अंकित जमानत राशि नगद अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से या परिवहन विपत्र पत्र से दो बराबर किस्तों में कटौती कर संघ में जमा करना होगा।

गाड़ी का प्रकार	जमानत राशि (रु०)
टाटा 407, एवं समतुल्य	30,000.00
बोलेरो पिकअप/मैक्स पिकअप एवं इसके समतुल्य	25,000.00
टाटा (ACE) एवं समतुल्य	20,000.00

उपरोक्त गाड़ी का तल लोहे के चदरे का होना अनिवार्य है।

4. भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ गाड़ी का ऑनर-बुक, टैक्स टोकन, प्रदुषण, पैन नंबर, आधार कार्ड, बीमा संबन्धित कागजात तथा गाड़ी का फिटनेस कागजात की अधतन छायाप्रति संलग्न किया जाये। सभी वाहनों का निबंधन कमर्शियल होना अनिवार्य होगा।
5. भरे हुये निविदा प्रपत्र मात्र पंजीकृत डाक/कुरियर/हाथो-हाथ संघ मुख्यालय के पते से इस प्रकार भेजें कि संघ कार्यालय में दिनांक 20.03.2026 से 10.04.2026 के अपराहन 4:00 बजे तक कार्यालय कार्य अवधि तक पहुँच जाये। डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिए संघ जिम्मेवार नहीं होगा।
6. तुर्कवलिया, कोचास जिला रोहतास का तकनीकी निविदा दिनांक 13.04.2026 को एवं कैमूर डेयरी मोहनियाँ जिला (कैमूर) का तकनीकी निविदा दिनांक 16.04.2026 को वर्णित तिथियों के अनुसार 1:00 बजे अपराहन से दुग्ध संघ मुख्यालय आरा डेयरी आरा के सभाकक्ष में निविदाताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तकनीकी निविदा (बीड) खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (बीड) में सफल निविदाओं का वित्तीय बीड खोलने की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।
7. अलग-अलग पथों के लिए अलग-अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र शुल्क 200.00 रु० एवं अग्रधन राशि रु० 1000.00 (एक हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा का रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। संघ को एक गाड़ी नंबर का एक से अधिक पथों के लिए निविदा प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में चयन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम दर के आधार पर योग्य पाये जाने के उपरांत किसी एक पथ में निविदा मान्य होगा। अन्य सभी पथों में एक गाड़ी नम्बर का दावा (निविदा) स्वतः समाप्त समझा जायेगा। निविदा प्रपत्र में निविदादाता के नाम से पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, अवश्य अंकित किया जाये तथा उसकी छाया प्रति संलग्न की जाये।
8. स्वीकृत निविदा की सूचना गाड़ी मालिक को मिलने के उपरांत जमानत राशि जमा नहीं करने या आवंटित परिवहन कार्य न्यूनतम 15 दिनों में संपादित नहीं करने की स्थिति में अग्रधन राशि रु० 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र संघ द्वारा जप्त कर ली जायेगी।



9. निविदा अस्वीकृत की स्थिति में संघ द्वारा अग्रधन राशि रू० 1000.00 (एक हजार रुपये) मात्र वापस कर दी जायेगी।
10. जिस पथ के लिए निविदा भरा जायेगा उसी पथ में समिति के सचिव/अध्यक्ष एवं संघ के कर्मचारी तथा उनके संयुक्त परिवार का गाड़ी होने पर निविदा अमान्य होगा।
11. विभिन्न पथों में दुग्ध परिवहन का कार्य करने हेतु गाड़ी का निर्माण वर्ष मॉडल जनवरी 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। पूर्व में चोरी एवं अन्य अनियमितता में संलिप्त पाये गये संवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. पूर्व से ब्लैक लिस्टेड (चिह्नित) निविदादाता, जिनकी गाड़ी संघ के क्षेत्राधीन परिचालन अवधि में चोरी अन्य संदिग्ध मामलों में संघ द्वारा आरोपी/दण्डित हो चुके हैं, वैसे परिवहन संवेदक द्वारा स्वयं या अपने संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर गाड़ी का कागजात स्थानान्तरण करके निविदा भरने के पात्र नहीं होंगे। वैसे निविदादाताओं से प्राप्त निविदा पर किसी तरह का विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदा भरने के लिए एक बड़ा लिफाफा एवं दो छोटा लिफाफा का प्रयोग करें दो छोटा लिफाफा, जिसमें एक पर तकनीकी बीड एवं दूसरे पर वित्तीय बीड तथा दोनों पर स्वयं का पूरा पता एवं जिस जिला, जिस पथ में कार्य किया जाना है, पथ संख्या लिफाफा पर सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए। दोनों में संबंधित कागजात भरकर बड़े लिफाफे में डालने के पश्चात् बड़े लिफाफे के ऊपर परिवहन निविदा अंकित करते हुए, पथ संख्या अवश्य अंकित किया जायेगा। प्रेषक का नाम, पता के साथ-साथ प्रेषित का पूरा पता- प्रबंध निदेशक, शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, कतिरा, आरा, पोस्ट-नवादा, जिला- भोजपुर, पिन कोड- 802301 साफ-साफ बड़े अक्षरों में लिखा जाये।



[Signature]
19/3/26
प्रबंध निदेशक

[Signature]
19/3/26



1000/- रू० नन- जूडिशियल स्टाम्प, पर्ईया/इक्सक्यूटिव पेपर पर दुग्ध परिवहन कार्य हेतु

:: एकरारनामा ::

यह एकरारनामा आज दिनांक: को शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०. कतीरा, आरा डेयरी, आरा जिसका कार्यालय कतीरा रोड, आरा, पोस्ट- नवादा, जिला- भोजपुर में अवस्थित है के तरफ से प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में जिसे आगे "दुग्ध संघ" से सम्बोधित किया जायेगा तथा दूसरा पक्ष

श्री (गाड़ी मालिक का नाम) पिता: ग्राम:

पो०: जिला: पिन कोड: के स्थायी निवासी है तथा जिनका पत्राचार का

पता: दूरभाष/मोबाईल संख्या: जिसे आगे 'संवेदक' से सम्बोधित किया जायेगा के बीच सम्पादित किया जाता है।

दुग्ध संघ द्वारा दिनांक से की अवधि के लिए गॉव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में संग्रहित कच्चे दुग्ध को (डेयरी/शीतक केन्द्र/बी०एम०सी०) जो शाहाबाद दुग्ध संघ की एक इकाई है, तक परिवहन कार्य करने तथा समितियों को जाँच सामान, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सामिग्रियों का परिवहन कराने के उद्देश्य से नियुक्त संवेदक कार्यादेश संख्या दिनांक: निर्गत किया गया है, जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्गत कार्यादेश में अंकित सभी शर्त एकरारनामा के शर्तों का हिस्सा समझा जायेगा, जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए सहमत है।

दोनों पक्षों द्वारा निविदा (एकरारनामा) में उद्धृत शर्तें क्रमांक 01 से 30 तक अंकित सभी शर्तों को पूर्णरूप से पढ़कर, समझकर एवं बिना किसी जबर व दबाव के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में एकरारनामा (अनुबन्ध) किया गया।

हस्ताक्षर
(दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)
उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)

हस्ताक्षर
(संवेदक)
उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)

01.....

01.....

02.....

02.....



परिवहन निविदा हेतु एकरारनामा की शर्तें

अनुलग्नक- 01

1. यह एकरारनामा दो वर्ष की अवधि तक के लिए जो कार्यादेश की तिथि से प्रभावी रहेगा। एकरारनामा समाप्ति के पश्चात् अच्छे कार्य के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तार का अधिकार "दुग्ध संघ" की होगी, जिसे "संवेदक" मानने के लिए बाध्य होंगे। अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्तें पूर्ववत् लागू रहेगी। कार्य संतोषप्रद रहने पर आपसी सहमति के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार हेतु परिवहन कमिटी द्वारा प्रबंध निदेशक को अनुशंसा किया जा सकता है, जिस पर प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
2. एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ द्वारा कम से कम तीन दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जायेगा, जबकि संवेदक को उक्त स्थिति में न्यूनतम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा।

विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संघ को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध समिति/दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगी तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा 24 घंटे पूर्व लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पंजीकृत पत्र निर्गत की तिथि से ही संवेदक को प्राप्त माना/समझा जायेगा।

3. एकरारनामा के पूर्व परिवहन निविदा से संबंधित प्रमुख सूचना के आलोक में संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के समय दिये गये शर्तों के अनुसार गाड़ी परिचालक के मद् में संवेदक द्वारा जमानत राशि के रूप में गाड़ी मॉडल के अनुसार दुग्ध संघ में राशि जमा किया जायेगा, जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात् (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिये जाने के कारण) संवेदक द्वारा सभी समितियों के सचिव द्वारा निर्गत पत्र, संघ एवं शीतक केन्द्र/बी०एम०सी० के भंडार से "बकाया नहीं प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने के पश्चात् सभी वशूलनीय राशि की कटौती के पश्चात् (यदि कोई हो तो) तीन माह के अंदर जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा संवेदक की सुविधा के लिए संवेदक के कार्य समाप्ति की सूचना दुग्ध संघ के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सभी समितियों को 15 दिन का समय देते हुए बकाया संबंधित दावा प्रस्तुत करने का निर्देश निर्गत करेगा। इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धृत शर्तों के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा।

4. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर निर्गत समय-सारणी के अनुसार सुबह तथा शाम पाली में दुग्ध सहित केन समितियों से प्राप्त कर दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क कूलर समिति) तक परिवहन की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। निर्धारित समय से विलम्ब से दूध पहुँचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या फट जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौती संवेदक के विपत्र से की जाएगी।
5. दुग्ध संघ से प्राप्त खाली केन, समिति को सम्बोधित पत्र, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चाना बीज इत्यादि, संघ द्वारा निर्गत सभी सामान संबंधित समितियों को देने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उसी प्रकार समितियों से प्राप्त सभी सामान (केन सहित कच्चे दूध के अतिरिक्त) जैसे मांग पत्र, इत्यादि प्रत्येक पाली में दुग्ध संघ के गेट/भंडार शाखा/बी०एम०सी० में जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। परिवहन के दौरान सामग्रियों की टूट-फूट जाने, खो जाने, मात्रा की कमी, गुणवत्ता में अन्तर इत्यादि कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई क्षति की कटौती संवेदक से की जायेगी।



6. संवेदक द्वारा प्रत्येक तिथि/पाली में पंजी का संधारण कर सभी समिति के प्रतिनिधि से उसके द्वारा आपूर्ति भरे केन की संख्या दूध की मात्रा की प्रविष्ट करायेंगे या स्वयं करेंगे। चालक द्वारा भारवाहक पर्ची, दूध तौल के पूर्व कार्यरत पाली प्रभारी को सौंपेंगे। उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संघ द्वारा प्रति पाली रू० 250.00 (दो सौ पच्चास रू०) की दर से जुर्माना करने का अधिकार संघ को सुरक्षित रहेगा।
7. मुख्य पथ से अगर शटल पथ जुड़ा हो तो, शटल पथ के परिवहन संवेदक को खाली केन, पत्र, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री के लिए माँग पत्र इत्यादि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार मुख्य पथ के संवेदक को सौंपनी होगी।

सामग्री, जिस अवस्था में दुग्ध संघ(डेयरी/शीतक केन्द्र/बी०एम०सी०) से प्राप्त करेंगे शटल पथ के संवेदक को भी समितियों के लिए प्राप्त उपरोक्त अंकित सभी सामान को ठीक उसी अवस्था में मुख्य पथ के संवेदक को सौंपना होगा। सामग्रियों के लेन-देन संबंधित पंजी का संधारण दोनों संवेदकों को करनी होगी तथा सामान टूट-फूट, नुकासान की स्थिति में हुई क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से किया जाएगा।
8. मुख्य पथ एवं शटल पथ के संवेदक के द्वारा किसी कारणवश समितियों से प्राप्त दूध एवं अन्य सामग्री, परिवहन द्वारा दुग्ध संघ तक नहीं लाने की स्थिति में हुई क्षति की कटौती संवेदक से किया जाएगा। परिवहन गाड़ी खराब होने या अन्य किसी कारणों से दूध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी। संवेदक को असफल होने की स्थिति में यदि संघ द्वारा व्यवस्था की जाती है तो ऐसी स्थिति में जितनी खर्च उपरोक्त मद में होगा, संवेदक से कटौती कर ली जाएगी।
9. किसी कारणवश परिवहन संवेदक समिति का दूध एवं अन्य सामग्री छूट समय के साथ/निर्धारित समयानुसार परिवहन कार्य करने में असफल होते हैं तो वैसी परिस्थिति में मुख्य पथ एवं शटल पथ की समितियों के दुध खट्टा/फटा (दही) होने से हुई क्षति की पूर्ण कटौती संवेदक के विपत्र से करते हुए समिति को भुगतान की जाएगी।
10. शटल पथ के संवेदक, समितियों से संबंधित दूध केन एवं अन्य सामग्री मुख्य पथ के संवेदक को निर्धारित समय-तालिकानुसार निर्धारित स्थान पर सौंपने में असफल होने की स्थिति में शटल पथ के संवेदक को दुग्ध संघ तक दूध केन एवं अन्य सामग्री पहुँचना होगा, परन्तु उन्हें अतिरिक्त तय की गई दूरी का भाड़ा का भुगतान नहीं होगा। समिति एवं संघ को इसके कारण हुई क्षति की कटौती शटल पथ के संवेदक के विपत्र से की जाएगी। ऐसी स्थिति में मुख्य पथ के संवेदक को उसी दिन तथा पाली में दुग्ध संघ को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें शटल पथ की गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं पहुँचने का उल्लेख हो। दुग्ध संघ या समिति द्वारा आपूर्ति किये गये सामान के अतिरिक्त संवेदक द्वारा पैसेन्जर या अन्य सामग्री ढोने का कार्य दुग्ध परिवहन गाड़ी द्वारा नहीं किया जाएगा। उक्त शर्तों के उल्लंघन करते पाये जाने पर उस पाली अर्थात् एक पाली का विपत्र संघ द्वारा कटौती कर लिया जायेगा। उक्त शर्तों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होनी की स्थिति में एकरानामा रद्द करने तथा पूर्ण जमानत की राशि की जप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।



11. दुग्ध परिवहन के दौरान संघ में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारियों (प्रबंध निदेशक, उप प्रबंधक, चारा विकास पदाधिकारी, सहायक प्रबंधक, दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी, वरीय पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, प्रापण सहायक, डेयरी कर्मी) इत्यादि को परिवहन गाड़ी जाँच करने का अधिकार होगा। समितियों में दूध की वजन में कमी एवं सम्बन्धित अन्य समस्याओं के कारण समिति के सचिव अथवा अध्यक्ष परिवहन गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु संवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी पर नहीं चढ़ाएँगे तथा परिवहन गाड़ी पर अन्य सामान का परिवहन नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर प्रति केस रू० 500.00 (पाँच सौ रूपये) तक आर्थिक जुर्माना किया जाएगा।
12. परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर न्यूनतम मिडिल पास व्यवहार—कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी अनुज्ञा—पत्रधारी चालक के अतिरिक्त एक कुशल खलासी केन लोडिंग तथा अनलोडिंग हेतु अपने खर्च पर रखेंगे। गाड़ी के साथ गाड़ी का ऑनर—बुक, बीमा संबंधी कागजात, परिवहन नियमावली के तहत सभी कागजातों को रखेंगे।
13. दुग्ध पथ में पड़ने वाले समिति (सभी अथवा आंशिक रूप से) या पूरे दूध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से दुग्ध संग्रहण बंद करने का अधिकार दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दिया जायेगा। समिति अथवा दुग्ध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप बंद होने के कारण संवेदक को किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति (यदि हो तो) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा। दूध पथ की दूरी में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। संवेदक को वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा भुगतान किया जायेगा।
14. संवेदक को गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान रास्ते में या दुग्ध संघ परिसर में दूध की चोरी करते हुए अथवा हेरा—फेरी करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक के एकरानामा निरस्त करते हुए जमानत राशि जब्त कर परिवहन कार्य से मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी तथा परिवहन कार्य—क्षेत्र में पड़ने वाली सभी समितियों के घटना की तिथि से एक माह पूर्व में हुई सभी क्षति, दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर की जा रही दूध विपत्र भुगतान की राशि से पाँच से दस गुणा तक कटौती की जाएगी।
15. संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर व्यवहार—कुशल चालक तथा खलासी रखें। समिति अथवा संघ के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा चोरी, दूध की हेरा फेरी करते हुए पकड़े जाने पर चालक अथवा खलासी को दुग्ध संघ द्वारा लिखित सूचना प्राप्ति के पश्चात् उस कर्मचारी (चालक/खलासी) को काली सूची में संघ द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा, हटाने की बाध्यता संवेदक की होगी। चालक तथा खलासी को उचित ड्रेस में परिवहन कार्य तथा परिसर में आने के लिए संवेदक सुनिश्चित करेंगे, कि चालक तथा खलासी लूंगी पहनकर परिसर में न आये। परिवहन संवेदक, चालक, खलासी का पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
16. संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक/खलासी किसी ऐसे कारनाम में शामिल अथवा सम्बद्ध होते हैं, जिससे दुग्ध संघ की छवि खराब होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरानामा तत्काल रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।
17. समितियों से आपूर्ति दूध का भारवाहक पर्ची/चालान, प्रतिदिन प्राप्त करने एवं डेयरी डॉक BMC पर देने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक/ड्राइवर/खलासी की होगी। दूध की कमी होने पर परिवहन संवेदक के विपत्र से कटौती की जाएगी।



18. दुग्ध परिवहन की गाड़ी परिसर में प्रवेश के समय मुख्य गेट पर रूकेगी, जहाँ सुरक्षा प्रहरी द्वारा केन की गिनती की जाएगी। संवेदक के प्रतिनिधि समिति से प्राप्त मांग पत्र, सामान प्राप्त रसीद सभी सामान स्टोर को सुपुर्द करेंगे तथा पंजी में प्रविष्ट कर अपना हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप रखेंगे। उसी प्रकार की वापसी में निर्गत सामान पत्र इत्यादि दुग्ध संघ से प्राप्त कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। डेयरी परिसर में अधिकतम 10 कि० मी०/घंटा की गति से गाड़ी चलाया जायेगा। डेयरी डॉक पर संवेदक के प्रतिनिधि/खलासी/चालक द्वारा व्यवस्थित रूप से भरे केन का अनलोडिंग किया जायेगा। अनलोडिंग के पश्चात् उचित जगह पर एवं व्यवस्थित रूप से गाड़ी को पार्क करेंगे, जिससे अन्य गाड़ी के परिचालन में असुविधा नहीं हो।
- वापसी के पूर्व भण्डार/कृत्रिम गर्भाधान शाखा के भण्डार से समिति के मांग के अनुसार सभी सामान प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक के प्रतिनिधि/खलासी की होगी। उक्त शर्तों के पालन नहीं करने पर अधिकतम प्रति केस रू० 500.00 (पाँच सौ रुपये) का जुर्माना किया जायेगा।
19. परिवहन संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी की अपने खर्च पर परिवहन गाड़ी में स्थायी तौर पर हवादार छतरी की व्यवस्था कर आदेश निर्गत की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर सूचित करना होगा। उक्त व्यवस्था के संदर्भ में संसूचित नहीं करने की स्थिति में आदेश रद्द किया जा सकता है।
20. दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने पथ के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य पथों में स्पेशल ट्रीप लगाने हेतु निर्देश दिया जा सकता है, इसका परिपालन संवेदक की बाध्यता होगी। इस कार्य हेतु संवेदक को उनके पथ के स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक तय की गई दूरी का भुगतान किया जायेगा।
21. एकरनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में संघ द्वारा अंकित गाड़ी द्वारा ही दुग्ध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी के खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ को देनी होगी, जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नई गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नहीं हो। दुग्ध संघ, समिति तथा संवेदक के बीच आपसी ताल-मेल रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संवेदक/संघ द्वारा निर्गत पहचान-पत्र चालक/खलासी प्रत्येक दिन दोनों पालियों में परिवहन के दौरान अपने पास पहचान पत्र रखें तथा गेट, प्लांट या भंडार में मांगे जाने पर प्रस्तुत करें। बिना पहचान पत्र धारक किये " चालक एवं खलासी " को परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके कारण हुई किसी क्षति की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
22. रात्रि पाली में समितियों से संग्रहित दूध को डेयरी परिसर में पहुँचने के बाद संवेदक द्वारा अपने चालक एवं खलासी सोने की व्यवस्था परिसर के बाहर करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में चालक तथा खलासी परिसर के अंदर सोने नहीं दिया जायेगा। रात्रि पाली में दूध, डेयरी डॉक पर सुपुर्द करने के पश्चात् साफ केन, समान इत्यादी की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही की जाएगी, जिसे संवेदक प्राप्त कर गाड़ी को बाहर ले जा सकेंगे। चालक/खलासी को रात्रि पाली में परिसर में सोते हुये पकड़े जाने की स्थिति में रू० 500.00 (पाँच सौ रुपये) तक जुर्माना किया जाएगा।
23. एकरनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक दूध परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते हैं तो वैसी दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किये गये वास्तविक भाड़ा तथा उस अवधि में विभिन्न कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौती परिवहन संवेदक से की जायेगी। क्षति का पूर्ण समायोजन विपत्र से नहीं होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि से कटौती की जायेगी।



24. दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों को विपत्र प्रस्तुत करना होगा:-

अवधि	विपत्र जमा करने की तिथि
01 से 15 तारीख	17 तारीख तक
16 से माह के अंतिम तिथि तक	02 तारीख तक

परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथि को उस पथ/कैम्प प्रभारी को विपत्र के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतिकरण के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर दुग्ध संघ द्वारा बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) की कटौती के पश्चात् निम्न बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

1. भारतीय स्टेट बैंक।
2. पंजाब नेशनल बैंक।
3. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक।

अतः संवेदक अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शाखाओं में अपना खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे। परिवहन संवेदक को किसी तरह का अग्रिम देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में विपत्र के विरुद्ध 15 प्रतिशत ब्याज की दर से अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु अग्रिम के भुगतान पर परिवहन संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।

25. दर परिवर्तन: कुल मिलाकर डीजल के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी एक रुपये या उससे अधिक होने की दशा में अप्रैल 2026 के माह में डीजल का दर को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष में तीन बार कमशः 01 अप्रैल, 01 अगस्त एवं 01 जनवरी से चार-चार माह के अन्तराल पर परिवर्तनीय होगा। वर्ष में डीजल दर 01 अप्रैल, 01 अगस्त एवं 01 जनवरी को आधार माना जायेगा। परिवर्तन के फलस्वरूप दर संशोधन हेतु डीजल की खपत प्रति लीटर बोलोरो पीकअप भान के लिए 10 कि० मी०, टाटा-407 के लिए 08 कि० मी० मानकर गणना की जायेगी। दर संशोधन तबतक नहीं होगा जबतक आधार दर में परिवर्तन 01 (एक) रुपये या उससे कम/अधिक नहीं होगा। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।
26. जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान, चुनाव कार्य में लगाने हेतु परिवहन गाड़ी की मांग की जाती है। वैसी स्थिति में संवेदक की बाध्यता होगी कि दुग्ध संघ के लिखित निर्देश पर चालक सहित गाड़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएँ। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार देय भुगतान की प्राप्ति संवेदक द्वारा सीधे प्राप्त की जायेगी। संघ द्वारा कोई भुगतान नहीं होगा।
27. दुग्ध परिवहन कार्य हेतु भाड़े पर रखी गई गाड़ियों से दुर्घटना या क्षति होती है तो वैसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की सारी जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी। इससे संघ का कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए संवेदक सीधे जिम्मेवार होंगे।
28. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा पूर्ण/आंशिक रूप से भारत/बिहार बन्द के दौरान पथ में गाड़ी का परिचालन परिस्थितियों के मदे नजर संघ के निर्देशानुसार कराया जायेगा। यदि उक्त तिथि को कोई भी बी०एम०सी० अपने निजी स्वार्थ के लिए गाड़ी का परिचालन कराते है तो वैसी स्थिति में हुए क्षति का जिम्मेवार स्वयं बी०एम०सी० होगा। पथ जाम/पथ में दुर्घटना की स्थिति में जिसमें जान-माल की क्षति होती है। वैसी स्थिति में 20 प्रतिशत समिति, 20 प्रतिशत संवेदक एवं 60 प्रतिशत संघ हुए दुग्ध की क्षति का वहन करेगी। इसका जिक्र किसी दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित होना चाहिए।



29. प्राकृतिक आपदा, आँधी तुफान, चक्रवात, बर्फ गिरना, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि कारणों से यदि पथों में दुग्ध की क्षति होती है तो वैसी स्थिति में 10 प्रतिशत समिति 80 प्रतिशत संघ तथा 10 प्रतिशत परिवहन संवेदक द्वारा हुए दुग्ध क्षति का वहन करेगी, बर्से की इसका जिक्र किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हो।
30. अभय पक्ष के बीच किसी प्रकार के विवाद इस अनुबंध के तहत प्रावधानों, व्याख्याओं, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, जिम्मेवारियों, वसूली के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में संघ के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि एकमात्र मध्यस्थ होंगे तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा। किसी न्यायिक कार्य का क्षेत्र, व्यवहार न्यायलय आरा होगा।


प्रबंध निदेशक





कैम्प-रोहतास (कोचस)

क्रमांक	पथ संख्या	गाड़ी का प्रकार	दूरी (कि० मी०)	कहाँ से कहाँ तक
1	9 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	89	अकोढी भाया बी०एम०सी० अवाढी।
2	9 B	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	220	बीसी खुर्द, बिसुनपुरा भाया दुग्ध शीतक केन्द्र कोचस।
3	9D	टाटा मैजिक / समतुल्य	90	वाल्हा, श्रीकान्तपुर भाया बी०एम०सी० गुणसेज।
4	13 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	170	छितन डिहरा, भगीरथा भाया दुग्ध शीतक केन्द्र कोचस।
5	13 B+25A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	210	धनपुरा, बलिगाँव भाया दुग्ध शीतक केन्द्र कोचस।
6	13 B	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	160	पिपरा, गिरधरिया, गंगाढी भाया बी०एम०सी० बेलवईया।
7	14	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	190	अगरसी डीहरा, कुरसा भाया दुग्ध शीतक केन्द्र कोचस।
8	39 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	90	मोडिहरा, अरैला, रघुनाथपुर भाया बी.एम.सी बेलवईयां
9	42	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	170	सागरगपुर, शंकरपुर भाया दुग्ध शीतक केन्द्र कोचस।
10	43	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	210	प्रयागपुर, गौलक्षणी भाया बी.एम.सी. लेंगड केकई।

जिला-रोहतास डिहरी - (तुर्कवलिया क्षेत्र)

क्रमांक	पथ संख्या	गाड़ी का प्रकार	दूरी (कि० मी०)	कहाँ से कहाँ तक
1	7 A	टाटा मैजिक / समतुल्य	130	तिरासी बिगहा, अमरपुर, बलिगाँव, मोडिहाँ भाया बी०एम०सी० तुर्कवलिया।
2	29A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	130	मूँजी, सलेमपुर, खेलडिया, कुरुर भाया बी०एम०सी० भड़कुरिया।
3	33 A	टाटा मैजिक / समतुल्य	120	कौआखोंच, ताराचण्डी, भाया बी०एम०सी० चन्दनपुरा।
4	36	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	220	डेढगाँव, जगोधरा, दावथ पंच मंदिर, बिकमगंज भाया, बी०एम०सी० तुर्कवलिया।
5	36A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	190	मैघरा, जमोढी, मसोना भाया बी०एम०सी० तुर्कवलिया।
6	37 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	170	बघैला, नारन, रोटवाँ, चाँदी बाँक भाया बी०एम०सी० तुर्कवलिया।
7	29 + 38	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	116	सोहदा, नोआँव, हरिहरपुर भाया बी०एम०सी० मालपुरा।
8	39	टाटा मैजिक / समतुल्य	132	सियरुआँ, जमुखरी, रामपुर, तेनुआ, नोखा भाया बी०एम०सी० तुर्कवलिया।
9	40	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	110	करूप, रामपुर, इटडिया, दयालगंज भाया बी०एम०सी० तुर्कवलिया।
10	47	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	182	विजाढी, पलौधा, महदाहा भाया, बी०एम०सी० लेंगर केकई।
	48	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	252	परछा, नयागाँव, भाया, बी०एम०सी० चन्दनपुरा।



कैमूर डेयरी मोहनियाँ

क्रमांक	पथ संख्या	गाड़ी का प्रकार	दूरी (कि० मी०)	कहाँ से कहाँ तक
1	16	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	220	जैतपुर डेरा, महिला सिसौरा, कैमूर डेयरी, मोहनियाँ।
2	17	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	144	पिपरीयाँ भाया मसाढ़ी भाया बी०एम०सी० सहुका।
3	17 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	160	भनखनपुर टेकारी, केशोपुर, कैमूर डेयरी, मोहनियाँ।
4	18	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	220	कम्हारी भाया कुढनी से कैमूर डेयरी मोहनियाँ।
5	18 B	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	206	उपाध्यासागर भाया उपरी से कैमूर डेयरी मोहनियाँ।
6	19	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	96	किलनी भाया नौडिहा भाया बी०एम०सी० सिरहिरा।
7	19 B	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	130	मदुरना भाया हाटा भाया बी०एम०सी० सिरहिरा।
8	22	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	218	परसथुआँ भाया डनडोरी भाया कैमूर डेयरी मोहनियाँ।
9	22 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	192	रामपुर, केवड़ी, कैमूर डेयरी मोहनियाँ।
10	24	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	126	कोहारी भाया फकराबाद भाया बी०एम०सी० दत्तियाँव।
11	24 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	176	मछनहट्टा भाया सोहपुर भाया कैमूर डेयरी मोहनियाँ।
12	44 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	198	इटाढ़ी भाया दुबौली भाया कैमूर डेयरी मोहनियाँ।
13	45	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	214	मरिचाँव, कसेर कैमूर डेयरी मोहनियाँ।



(Handwritten signature)